


उत्तराखण्ड शासन  
ग्राम्य विकास अनुभाग  
सं: XI/12/56(21)/2011  
देहरादून दिनांक 23 नवम्बर 2012

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1834/XI/12/56/(21)/2011 दिनांक 10.09.2012 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 03.10.2012 को सम्पन्न बैठक में दी गई संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी (**State Level Project Management Committee**) का निम्नवत गठन किया जाता है:-

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1  | सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन   | अध्यक्ष              |
| 2  | सचिव, जलागम  | सह-अध्यक्ष           |
| 3  | परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) - केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) | सचिव                 |
| 4  | परियोजना निदेशक - समेकित आजीविका सहयोग परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक उपासक                                       | सदस्य                |
| 5  | अपर सचिव, वित्त  | सदस्य                |
| 6  | मुख्य कार्यकारी अधिकारी - उपासक  | सदस्य                |
| 7  | परियोजना निदेशक - उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई  | सदस्य                |
| 8  | अपर सचिव/पंचायतीराज उत्तराखण्ड   | सदस्य                |
| 9  | अपर सचिव, उद्यान   | सदस्य                |
| 10 | अपर सचिव, कृषि   | सदस्य                |
| 11 | अपर सचिव, पशुपालन  | सदस्य                |
| 12 | अपर सचिव, पर्यटन   | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 13 | परियोजना के सहभागी गैर सरकारी संगठन (NGO) तथा परियोजना के Innovation linkages सहभागी संगठन                     | विशेष आमंत्रित सदस्य |

उक्त कमेटी द्वारा परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना व बजट के अनुमोदन, भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा, परियोजना परिणाम सूचकों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा, क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों



का समाधान व सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ परियोजना गतिविधियों के अभिसरण का कार्य किया जायेगा। कमेटी की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। कमेटी के कोरम के लिये बैठक में कम से कम एक तिहाई सदस्यों का प्रतिभाग मान्य होगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

(विनोद फोनिया)  
सचिव

2261

सं०: XI / 12 / 56(21) / 2011 / तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
  2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
  3. संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/समिति के सभी सदस्य उत्तराखण्ड।
  4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
  5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
  6. संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
  7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद।
  8. मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद।
  9. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
  10. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, देहरादून।
  11. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन निदेशालय।
  12. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
  13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
  14. सहायक प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य स्तरीय, बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
  15. निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड।
  16. अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (Northern Region), देहरादून।
  17. गॉर्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(जे० ए० सामी)  
अनु सचिव।